तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **रेफरेन्स / एल.आर/ 3249/ 2002 / जोधपुर** **राजस्थान सरकार बनाम पारी वगैरह**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	एकलपीठ **श्री आर.के.जायसवाल, सदस्य** **उपस्थित :** श्री आर.पी.शर्मा, उप राजकीय अभिभाषक । अभिभाषक/अप्रार्थीगण बावजूद सूचना अनुपस्थित। -- **आदेश** यह रेफरेन्स प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 82 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 न्यायालय जिला कलेक्टर जोधपुर ने अपने आदेश एवं अभिशंषा दिनांक 11-3-02 द्वारा राजस्व मंडल को प्रेषित किया गया है। रेफरेन्स प्रकरण के सुसंगत तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से है कि तहसीलदार जोधपुर ने एक रेफरेंस पत्र न्यायालय जिला कलेक्टर जोधपुर के समक्ष प्रस्तुत कर निवेदन किया कि जाजीवाल कलां के नामांतरकरण संख्या 373 द्वारा अप्रार्थीगण के पति व पिता भोमाराम के नाम खसरा नंबर 114 रकबा 6.09 बीघा की खातेदारी ग्राम पंचायत जाजीवाल कलां द्वारा बिना क्षेत्राधिकार के स्वीकृत की गई। यह नामांतरकरण स्वीकृत किये जाने से पूर्व विवादित आराजी रक्षा विभाग को सुपुर्द की जा चुकी थी। यह नामांतरकरण स्वीकृत होने से खसरा नंबर 114 का वक्त बंदोबस्त के मुकाबले रकबा बढ गया। ग्राम पंचायत द्वारा विवादग्रस्त नामांतरकरण बगैर कब्जे की जांच एवं क्षेत्राधिकार नियम विरूद्ध स्वीकृत किये जाने से निरस्त किया जावे। न्यायालय जिला कलेक्टर ने रेफेरेंस प्रार्थनापत्र को स्वीकार करते हुये अपने निर्णय दिनांक 11-3-02 से अभिशंषा करते हुये अप्रार्थीगण के नाम दर्ज नामांतरकरण इंद्राज को निरस्त करने हेतु यह रेफरेंस राजस्व मंडल में प्रेषित किया गया है। विद्वान उप राजकीय अभिभाषक ने बहस करते हुये अभिकथन किया कि विवादित आराजी रक्षा विभाग के कब्जे में होकर अप्रार्थीगण के नाम दर्ज होने	

से पूर्व सुपुर्द की जा चुकी है। ग्राम पंचायत को नामांतरकरण के आधार पर खातेदारी देने का अधिकार नहीं है। अतः रेफरेंस स्वीकार किया जाकर विवादित नामांतरकरण संख्या 373 निरस्त किया जावे।

विद्वान उप राजकीय अभिभाषक की एकतरफा बहस पर मनन किया गया और जिला कलेक्टर की पत्रावली में संलग्न दस्तावेजात व निर्णय का आद्योपान्त अवलोकन व अध्ययन किया गया।

जाजीवाल कलां के नामांतरकरण संख्या 373 द्वारा अप्रार्थीगण के पति व पिता भोमाराम के नाम खसरा नंबर 114 रकबा 6.09 बीघा की खातेदारी ग्राम पंचायत जाजीवाल कलां द्वारा बिना क्षेत्राधिकार के स्वीकृत की गई। यह नामांतरकरण स्वीकृत किये जाने से पूर्व विवादित आराजी रक्षा विभाग को सुपुर्द की जा चुकी थी एवं रक्षा विभाग का कब्जा था। ग्राम पंचायत को विवादग्रस्त नामांतरकरण बगैर कब्जे की जांच स्वीकृत करने का क्षेत्राधिकार प्राप्त नहीं था। ऐसी स्थिति में ग्राम पंचायत द्वारा नियम विरूद्ध एवं बिना क्षेत्राधिकार प्राप्त स्वीकृत नामांतरकरण संख्या 373 नियम विरूद्ध होने से निरस्त योग्य है।

अतः हस्तगत् रेफरेंस स्वीकार किया जाकर ग्राम पंचायत जाजीवाल कलां द्वारा स्वीकृत नामांतरकरण संख्या 373 निरस्त किया जाता है।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(आर.के.जायसवाल)
सदस्य

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **रेफरेन्स / एल.आर/ 3249/ 2002 / जोधपुर** **राजस्थान सरकार बनाम पारी वगैरह**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए